न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 873–पीबीआर/13, विरूद्ध आदेश दिनांक 08–02–2013 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार बड़नगर, उज्जैन प्रकरण कमांक 5/अ–13/2012–13,

.....

1– नंदकिशोर पिता गेंदालाल,
2– मीराबाई पति गेंदालाल
3– गेंदालाल पिता धन्नालाल
निवासीगण–ग्राम माधोपुरा, तहसील बड़नगर
जिला–उज्जैन (म0प्र0) ..... आवेदकगण

विरूद्ध

अकबर पिता ईदा
निवासी–ग्राम माधोपुरा, तहसील बड़नगर
जिला–उज्जैन (म0प्र0) .....अनावेदक

.....

श्री नंदकिशोर तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अखलाक कुरैशी एवं श्री ए0आर0यादव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/6/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसील बड़नगर, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–02–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा ग्राम माधोपुरा तहसील बड़नगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 169 रकबा 1.310 हेक्टर भूमि पर आने जाने का मार्ग खुलवाये जाने हेतु मध्यप्रदेश भू0–राजस्व संहिता की धारा 131 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय में प्रकरण विधिवत दर्ज किया जाकर आवेदकगण को तलब किया गया । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 131 का जवाब देते हुये, आवेदकगण के अभिभाषक की

ओर से धारा 32 भू0–राजस्व संहिता के अंतर्गत पेश किया गया । जिसमें उल्लेख किया गया कि अनावेदक की भूमि सर्वे क्रमांक 169 ग्राम माधोपुरा में स्थित है जिस पर आने–जाने व कृषि सामान लाने ले जाने का मार्ग भूमि सर्वे क्रमांक 171 एवं 172 आवेदक क्र0 2 मीराबाई के स्वामित्व की है तथा उससे लगी हुई भूमि सर्वे क्रमांक 430 आवेदक क्रमांक 01 नंदकिशोर के नाम से स्वामित्व की है । अनावेदक की भूमि सर्वे नं0 169 में आने जाने के लिए एक मात्र रास्ते का उपयोग अनावेदक अपने स्वामित्व की भूमि सर्वे नं0 431 की पश्चिम मेड से होता हुआ अपनी भूमि में आता–जाता है । अनावेदक की भूमि पर आने जाने हेतु, भूमि सर्वे क्रमांक 428 जो कि शासकीय भूमि है उसकी मेड से होता हुआ भूमि सर्वे क्रमांक 431 से होकर अपनी भूमि में कृषि कर रहा है । वर्तमान में भी इसी रास्ते का उपयोग किया जा रहा है । आवेदक ने अनावेदक के विरूद्ध भूमि सर्वे नं0 430 स्थित ग्राम माधोपुरा में से नहीं निकलने हेतु नायब तहसीलदार बड़नगर के समक्ष आदेश 39 नियम 1 2 व्य.प्र.सं. के अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया एवं संहिता की धारा 32 का हवाला भी दिया, किन्तु नायब तहसीलदार बड़नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–02–2013 से प्रस्तुत संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । नायब तहसीलदार बड़नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–02–2013 से दुखी होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में प्रस्तुत किया कि नायब तहसीलदार, तहसील बड़नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–02–2013 को संहिता की धारा 32 का आवेदन निरस्त करने में वैधानिक भूल की है । नायब तहसीलदार, तहसील बड़नगर द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अनावेदक अपने भूमि सर्वे नं0 169 से सर्वे नं0 427 से होकर सर्वे नं0 428 शासकीय भूमि में से स्वयं के भूमि सर्वे नं0 431 की पश्चिमी मेड से होता हुआ सर्वे नं0 169 में आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा, इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखते हुए आदेश पारित किया है । आवेदक द्वारा पूर्व में अनावेदक से किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं किया गया है । उक्त राजीनामा में आवेदक मीराबाई पक्षकार नहीं थी और आवेदक नंदकिशोर जो कि पूर्व प्रकरण में पक्षकार था जिसके हस्ताक्षर अंग्रेजी में किये जाते रहे है और अनावेदक द्वारा राजीनामा के संबंध में कहा गया है एवं राजीनामा की प्रति प्रस्तुत की गई है उसमें आवेदक नंदकिशोर के हस्ताक्षर हिन्दी में किये गये हैं । इस प्रकार उक्त राजीनामा कूटरचित एवं फर्जी है । तथा उक्त राजीनामा में मीराबाई पक्षकार नहीं थी इसलिए उक्त

राजीनामा आवेदन पत्र आवेदक मीराबाई पर बंधनकारक नहीं होकर तहसीलदार बड़नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–02–2013 निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी बताया कि तहसीलदार बड़नगर द्वारा स्थल का निरीक्षक कर पंचनामा भी मौके का नहीं मंगाया जाकर उक्त आदेश पारित करने में वैधानिक भूल की है । पूर्व में तहसीलदार बड़नगर में प्र0क्रं0 2/अ–3/05–06 में अनावेदक अकबर ने धारा 131 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें सर्वे नं0 171 एवं 172 मोहम्मद हुसैन के स्वामित्व की थी और उसे पक्षकार नहीं बनाया गया था और सर्वे नं0 171 एवं 172 में आने जाने हेतु रास्ते के संबंध में कोई विवाद नहीं रहा और उक्त भूमि में कोई रास्ता नहीं है । तहसीलदार बड़नगर द्वारा आदेश दिनांक 25–08–2006 को पारित किया गया जिसमें अनावेदक अकबर को अपनी भूमि सर्वे नं0 169 से सर्वे नं. 427 से होकर सर्वे नं0 428 शासकीय भूमि में से स्वयं के सर्वे नं0 431 की पश्चिमी मेड से होता हुआ सर्वे नं0 169 में आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा । आदेश पारित किया । उसके उपरांत आवेदक मीराबाई द्वारा भूमि सर्वे नं0 171 एवं 172 का सीमांकन दिनांक 22–10–2008 को कराया गया और पटवारी मौजा एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सीमाकंन किया गया और मौके पर पंचनामा बनाया गया । उक्त पंचनामें में भी रास्ते के संबंध में कोई वर्णन नहीं है एवं मौके पर भूमि बराबर पाई गई और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ । उस समय भी रास्ते के संबंध में पंचनामें में कोई उल्लेख नहीं है । मौके पर कोई किसी प्रकार का रास्ता था ही नहीं । अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार बड़नगर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि अनावेदक के मालकी आधिपत्य एवं स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे क्रं0 169 रकबा 1.310 हेक्टर भूमि ग्राम माधोपुरा तहसील बड़नगर में स्थित है । उक्त वर्णित भूमि पर आने जाने का आदूद का मार्ग एवं परम्परागत रूढ़ी का व्यवहटी मार्ग सुन्दराबाद रोड से बरूख उत्तर दिशा में आवेदक मीराबाई की भूमि सर्वे क्रं0 171 और 172 की पूर्वी मेड से होता हुआ सर्वे क्रं0 430 असचेउक नन्दकिशोर की भूमि के बरूख पश्चिमी मेड से होता हुआ अनावेदक अपनी भूमि सर्वे क्रं0 169 में पहुँचंता है । उक्त रास्ते का उपयोग अनावेदक कई वर्षों से आवेदकगण की जानकारी में करता चला आ रहा है । उक्त रास्ते के अलावा अनावेदक के पास अपनी भूमि पर पहुँचने का अन्य

मार्ग उपलब्ध नहीं है । उक्त वर्णित रास्ते से अनावेदक अपना समस्त कृषि सामान, ट्रेक्टर, ट्राली, कल्टीवेटर, मवेशी बेलगाड़ी आदि लाता ले जाता रहा है । उक्त वर्णित रास्ते का पूर्व में आवेदक गेन्दालाल व नन्दकिशोर द्वारा अवरूद्ध किया गया था तब अनावेदक ने एक आवेदन धारा 131 भे0रा0सं0 के तहत नायब तहसीलदार बड़नगर के समक्ष प्रस्तुत किया था जो प्रकरण क्रं0–2/अ–13/2005–06 पर दर्ज हुआ होकर दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा दिनांक 08–02–2007 को हुआ था उक्त राजीनामें में आवेदकगण ने यह स्वीकार किया था अनावेदक का रास्ता सर्वे क्रं0 171 और 172 की पूर्वी मेड से होता हुआ सर्वे क्रं0 430 आवेदक नन्दकिशोर की भूकि के बरूख पश्चिमी मेड से होता हुआ अनावेदक की भूमि सर्वे नं0 169 में पहुॅचता है । उक्त रास्ता चालू है व अनावेदक उक्त रास्ते को उपयोग करता है और आवेदकगण को उक्त रास्ता अवरूद्ध करने का अधिकार नहीं है । उक्त वर्णित रास्ता आवेदकगण को मान्य है और उक्त रास्ते को बन्द करने का अधिकार कभी भी आवेदकगण को नहीं था और नहीं होगा । घटना दिनांक 09–12–2012 की सुबह 9.00 बजे की है, जब अनावेदक उक्त वर्णित रास्ते से अपनी कृषि भूमि पर जा रहा था तक अनावेदक ने देखा की उक्त रास्ते पर बीच में कांटे लगे हुये थे और उक्त रास्ते को फाड़कर आवेदक ने अपनी भूमि में मिला लिया, उसी समय आवेदकगण संगमत होकर मौके पर आ गये तब अनावेदक ने उनसे कहा कि मेरा रास्ता बन्द क्यों कर दिया तो आवेदकगण ने अनावेदक को गन्दी–गन्दी गालियॉ दी और कहा कि दुबारा इस रास्ते पर से मत आना नही तो जान से खत्म कर देंगे । इस प्रकार आवेदक ने अवैध तौर पर अनावेदक का आदूद का व्यवहटी मार्ग ताकत के बल पर अवरूद्ध कर दिया है । अनावेदक ने अपनी भूमि पर फसल बो रखी है यदि अनावेदक अपनी कृषि भूमि पर नहीं पहुॅच पाया तो प्रार्थी की वर्ष भर की फसल नष्ट हो जावेगी । आवेदकगण के प्रकरण क्रं0 2/अ–13/2005–06 में किये गये राजीनामें से स्पष्ट है तथा आवेदकगण को अब उक्त रास्ता अवरूद्ध करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है । उक्त वर्णित रास्ते के अलावा अनावेदक के पास अपनी भूमि पर पहुंचने का अन्य मार्ग नहीं है यदि उक्त रास्ते को शीघ्र नहीं खुलवाया गया तो अनावेदक की फसल नष्ट हो जावेगी । अनावेदक की अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो पावेगी । अनावेदक को बाद कारण आवेदगण के विरूद्ध दिनांक 09–12–2012 को उक्त बादग्रस्त रास्ता अवरूद्ध कर जान से मारने की धमकी देने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राअधिकारक में उत्पन्न हुआ है । उक्त बादग्रस्त रास्ता ग्राम माधोपुरा तहसील

बड़नगर में स्थित होने से इस आवेदन पत्र को सुनने का विचाराधिकार क्षेत्र राजस्व मण्डल न्यायालय को प्राप्त है। अंत में अनावेदक के अभिभाषक द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील बड़नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–02–2013 स्थिर रखते हुये प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

5/ प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । यह निगरानी रास्ते के विवाद में तहसील द्वारा अंतरिम रास्ते के धारा 32 के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार द्वारा पूर्व में राजीनामा के आधार पर जो रास्ता दिया गया था उसी को अंतरिम रास्ते के लिये मान्य किया है । व्यवहार वाद कमांक 87A/2013 में पारित आदेश दिनांक 22–2–2014 में उक्त राजीनामे का हवाला दिया गया है ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया यह प्रमाणित है कि उक्त रास्ता पूर्व में भी उपलब्ध कराया गया था । ऐसी स्थिति में तहसीलदार ने अंतरिम राहत के तौर पर उसी रास्ते को खोलने के निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर